# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील संख्या 112/2017**

| अपीलांट | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| हरीराम पुत्र समरथाराम सुथार<br>निवासी गौडा, तहसील सेडवा,<br>जिला बाडमेर | | 1. आसुलाल पुत्र धोकलाराम<br>2. आलाराम पुत्र समरथाराम (जाति सुथार, निवासी गौडा, तह0 सेडवा, जिला बाडमेर)<br>3. प्रधानाचार्य रा0प्रा0वि0, सुथारों का पाडा, गौड़ा<br>4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सेडवा |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी चौहटन राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 91/2016 निर्णय दिनांक 8.6.16

उपस्थिति –
1. श्री रोशनलाल वकील अपीलांट
2. श्री महेश मेहता, वकील रेस्पो0 सं0 1
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4 की ओर से
4. रेस्पो0सं0 2, 3 अनुपस्थित

## निर्णय

दिनांक 02.09.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1–आसुलाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128, राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 प्रस्तुत कर तहसील सेडवा के ग्राम गौडा स्थित अपने खातेदारी व कब्जाकाश्त खसरा नं0 697/284 रकबा 15.04 बीघा भूमि की नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी करवाने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2016 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 के उल्लेखित खसरान की भूमि पर पत्थर सीमांकन करवाने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। दौरान बहस अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खसरा नं0

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

697/284 रकबा 15.04 बीघा का पत्थर सीमांकन करवाने हेतु आग्रह किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस तामिल करवाये बिना केम्प कोर्ट में पत्थरगढी का एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश बिना तरमीम के पारित किया गया है, जबकि तरमीम के बिना पत्थरगढी व नेखमबंदी नही की जा सकती है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि के पडौसी रेकर्डेड खातेदार व मौके पर कब्जाकाश्त है। प्रत्यर्थी अपीलाधीन आदेश की आड में अपने हक हिस्से से अधिक की भूमि पर कब्जा करके अपीलार्थी को मौके से बेदखल करना चाहते है। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों व धारा 111 व 128 आरएलआर एक्ट के प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने का अधिकार रखता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए गये थे, जो तामिली रिपोर्ट के अधीनस्थ न्यायायल की पत्रावली में संलग्न है। रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी के उल्लेखित खसरान की भूमि के सेढासेढ विप्रार्थीगण के खेत आए हुए है। जिनके बीच कच्ची या पक्की माठ या सीमा चिन्ह नही है, जिससे वर्षा ऋतु में काश्त को लेकर दोनो पक्षों में भारी तनाव रहता है। इसलिए रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने खसरान की नेखमबंदी कराने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन निर्णय द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार सेडवा को कमीश्नर नियुक्त कर, विप्रार्थीगण की उपस्थिति में नेखमबंदी करवाने हेतु आदेशित किया गया है। अतः अपील खारिज कर अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 4 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर प्रकट है कि आलौच्य प्रकरण में अप्रार्थी सं0 1 व 2 को जारी सम्मन अदम तामिल रिपोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अतः अपीलाधीन निर्णय अप्रार्थीगण को नोटिस एवं सुनवाई के बिना ही पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से अपास्त योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से तद्नुसार स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 91/2016 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.06.2016 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

02.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर